रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253030 CG-DL-E-15032024-253030

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1288]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

No. 1288]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च. 2024

का.आ.1354(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर-हिल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन (JHBDPL) और स्पर पाईप लाईन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाईपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अजॅन किया जाए;

अत: अव, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अजॅन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अजॅन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसके उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतिया साधारन जनता की अपलब्ध कर दी

1930 GI/2024 (1)

जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

जगदीशपुर-हिल्दिया -बोकारो-धामरा पाइपलाइन और स्पर पाईप लाईन प्रोजेक्ट, 3 बी सेक्सन, पश्चिम बंगाल अनुसूची

राज्ज : पश्चिम बंगाल

		a			~~:	क्षेत्रफल		
जिला	ब्लक	मौजा	थाना न	नक्शा	सर्वे नं	हेव	टेअर-आर-वगॅ मीटर	
1	2	3	4	5	6	7		
पुवॅ मेदिनीपुर	तमलुक -1	रत्नाली	138	आर.एस.	818	0	03	44

[फा. सं. एल-14014/148/2022-जीपी-II(ई-43457)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

S.O. 1354(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagadishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & spur pipeline, in the State of West Bengal, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section(1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

JAGADISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA & SPUR PIPELINE PROJECT, 3B SECTION, WEST BENGAL

SCHEDULE

State: West Bengal

District	Dlask	Mauza	J.L. No.	Мар	Survey No.	Area		
District	Block					Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7		
Purba Medinipur	Tamluk-1	Ratnali	138	RS	818	0	03	44

[F. No. L-14014/148/2022-GP-II(E-43457)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.